

विज्ञप्ति

मिशन संचालक, एनएचएम भोपाल के पत्र क्रमांक 12805/एनएचएम/एचआर/सेल-1/2020, दि 30/09/2020 द्वारा दिये गये स्वीकृति अनुसार कोविड 19 महामारी रोकथाम हेतु अधिष्ठाता, गॉंधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में अतिरिक्त मानव संसाधन की अस्थायी, स्वीकृति निश्चित मानदेय पर दि 31.12.2020 तक प्रदान की गई है।

क्र.	पदनाम	योग्यता	कुल पद	मासिक मानदेय प्रतिमाह
1.	स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी (डिग्री/डिप्लोमा) विषय विशेषज्ञ	1. एम.डी. मेडिसिन,	08	रु 1,25,000/- (डिग्री)
		2. एम.डी./ डिप्लोमा एनेस्थिसिया	07	रु 1,10,000/- (डिप्लोमा)
2.	आवेदन जमा करने की तिथि दिनांक 05-11-2020 सांय 04 बजे तक।			
3.	आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।			

इच्छुक उम्मीदवार आवेदन शुल्क रु 100/- को आनलाईन, CEO & Dean Gandhi Medical College, Bhopal के खाता क्रमांक 10625211248 IFSC code SBIN0010140 SBI GMC Bhopal में जमा कर उसकी रसीद के साथ दिनांक 05-11-2020 तक कार्यालयीन समय, सांय 4 बजे तक अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, सक्षम अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र एवं मूलनिवासी एवं जाति प्रमाण पत्र के मूलदस्तावेजों की एक स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ अधिष्ठाता कार्यालय गॉंधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में जमा करें। निर्धारित दिनांक के पश्चात आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।

पूर्व में जमा समस्त आवेदन इस विज्ञप्ति के लिये के मान्य नहीं होंगे। विज्ञापन के लिये प्राप्त आवेदन की स्कूटनी में पात्र आवेदकों के चयन आदेश की सूचना कालेज की वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी। जिन्हे आदेश प्रकाशन के तीन दिवस के भीतर अधिष्ठाता कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में उपस्थिति देनी होगी।


दस्तावेज: अभ्यर्थी को म0प्र0 चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीकरण, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी डिजिटल जातिप्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार से दस्तावेज पूर्ण न होने की स्थिति में आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

कोविड-19 महामारी की रोकथाम करने हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए आयु और वर्ग के मानक को शिथिल किया गया है। सभी 21 वर्ष से 60 वर्ष के आयु एवं वर्ग के पद अनुसार पात्र आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं। नियुक्ति अस्थायी दिनांक 31.12.2020 तक के लिए है।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्र 1493/पीजी/4/सचिशि/2020 भोपाल दिनांक 21.09.2020 अनुसार कोविड -19 महामारी के दृष्टिगत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम डिग्री/डिप्लोमा मेडिसिन, एनेस्थिसिया एवं पॉलमोनोलॉजी के उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं की सेवाओं विभिन्न शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में स्वीकृत पीजीएमओ के पदों के विरुद्ध अस्थायी रूप से कोविड-19 ड्यूटी कार्य करने हेतु लिये जाने पर सेवा की अवधि उनके द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के उपरांत की जाने वाले ग्रामीण सेवाओं की अवधि में विकलनीय होगी। यह केवल शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं पर लागू होगा।

चयनित आवेदक नियुक्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात संविदा या नियमित नौकरी के लिये पात्र नहीं माना जायेगा और न ही इसके लिये कोई दावा करेगा।

इस कार्यलय को बिना कारण बताये किसी भी समय यह विज्ञप्ति में आंशिक रूप में परिवर्तन अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में केवल न्यायालय भोपाल में परिषद हेतु मान्य रहेगा।


24.10.2020
अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

कोविड 19 के लिये स्वीकृत पदों पर भर्ती हेतु आवेदन का प्रारूप
शासकीय गॉंधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल म0प्र0
अस्थायी नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र

विज्ञापन क्रमांक.....दिनांक.....

आवेदक पद का नाम.....

आवेदन शुक्ल रू 100/-

आनलाईन रसीद संख्या एवं दिनांकरू

CEO & dean Gandhi Medical College, Bhopal के

खाता क्रमांक 10625211248, IFSC code SBIN0010140

SBI GMC Bhopal

1. अभ्यर्थी का नाम.....

2. पिता/पति का नाम.....

3. जन्म तिथि :.....

4. योग्यता :

क्र	परीक्षा का नाम	विद्यालय/ महाविद्यालय	बोर्ड / विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	रिमांक
1	हाईस्कूल						
2	हाई सेकण्डरी						
5	डिप्लोमा-						
6	डिग्री						

5. म0प्र0 एमसीआई रजिस्ट्रेशन/ नर्सिंग परिषद/ पैरीमेडिकल परिषद जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र :

6. अनुभव (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र एवं वेतन प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है)

क्र	संस्था का नाम	पद का नाम	अवधि कब से कब तक
1			
2			

7. वर्ग (सामान्य, अनु0जाति, अनु0जनजाति0 अ0पि0व0).....

8. सम्पर्क के लिये पता :.....

9. मोबाईल न0:..... 10 ई-मेल :.....

10. आधार कार्ड :.....

11. कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही/गंभीर अपराध प्रकरण/दंड तो उसकी जानकारी:.....

12. वचन/कथन

मैं प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है जिसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। मुझे यह ज्ञात है कि जानकारी असत्य पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। तथा अस्थायी नियुक्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी भी तरह की नियमित या संविदा नौकरी की मांग नहीं करूँगा या करूँगी।

हस्ताक्षर

अनुबन्ध पत्र

मैनेअपना आवेदन दिनांक के द्वारा की सेवा हेतु अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी गॉंधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के कार्यालय में प्रस्तुत किया है।

मै स्वेच्छा सेमानदेय पद दिनांकसे दिनांक 30/9/2020 तक कोविड महामारी नियंत्रण ऑपरेशन के लिये कार्य करने हेतु सहमत हूँ। मुझे दिया जाने वाला मानसिक मानदेय स्वीकार है एवं दी गई समस्त सेवा शर्तें मान्य है एवं मेरे द्वारा नियोजन के संबन्ध में माननीय न्यायालय में किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति प्रस्तुत नहीं करेगा।
सेवा शर्तें

1. यह सेवा पूर्णतः अस्थायी होगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में 3 माह के लिये ली जा रही है। जिसे आवश्यकता होने पर शासन के आदेशानुसार धटाया बढ़ाया जा सकता है। अतः निर्धारित अवधि पश्चात् आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
2. यह सेवा पूर्णतः अस्थायी होगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में एक माह के लिये ली जा रही है। अतः निर्धारित अवधि पश्चात् आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। तत्पश्चात् बिना आदेश प्राप्त किये निरंतर कार्य पर बने रहने पर अभ्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी तरह के मानदेय के लिय प्राप्त नहीं होगा।
3. उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी अधिष्ठाता, गॉंधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल होंगे।
4. अधिष्ठाता, गॉंधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल को समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध करा कर ही सेवाप्रदाता कार्य दायित्व संभालेंगे।
5. अनुबंध निष्पादन करने वाला व्यय संबन्धित सेवा प्रदाता द्वारा वहन किया जायेगा।
6. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्र 1493/पीजी/4/सचिशि/2020 भोपाल दिनांक 21.09.2020 अनुसार कोविड -19 महामारी के दृष्टिगत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम डिग्री/डिप्लोमा मेडिसिन, एनेस्थरिया एवं पॉलमोनोलॉजी के उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं की सेवाओं विभिन्न शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में स्वीकृत पीजीएमओ के पदों के विरुद्ध अस्थायी रूप से कोविड-19 ड्यूटी कार्य करने हेतु लिये जाने पर सेवा की अवधि उनके द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के उपरांत की जाने वाले ग्रामीण सेवाओं की अवधि में विकलनीय होगी। यह केवल शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं पर लागू होगा।